उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

अधिहरण अपील वाद सं0–01 / 2022

रितलाल सिंह–बनाम–राज्य(DFO, Hazaribagh East Devision)

आदेश की कम सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि
17.02.23	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय–प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अधिहरण वाद संख्या 10 / 2019 झारखण्ड सरकार बनाम रितलाल सिंह में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किये गये आवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रारम्भ की गई है। **वाद की संक्षिप्त विवरणी** दिनांक–16.03.2019 को रात्रि 8.30 बजे वनरक्षी को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कोनिया वन में अवैध पातन कर ट्रेक्टर से लकड़ियों को लाया जा रहा है। कोनिया पहुँचने पर पाया गया कि सिकन्दर सिंह पिता–रितलाल सिंह, गुलाब सिंह, पिता–फुलचन्द सिंह दोनों ग्राम–कोनिया, थाना–सरिया जिला–गिरिडीह बिना नम्बर के ट्रेक्टर, जिसका चेचिस सं0–MBNABAEXPHRF02908 ईंजन सं0–RHF2EAN5892 है, के पीछे–पीछे होण्डा साईन मोटर साईकिल, जिसका निबंधन से0–JH-11Y-2526, से चल रहे थे। वनरक्षीगण को आते देख सभी व्यक्ति ट्रेक्टर एवं मोटर साईकिल छोड़ कर भागने लगे जिसको खदेड़ कर पकड़ लिया गया। इसके बाद विभिन्न साईज का युक्लिप्टस का 15 पीस लकड़ी को ट्रेक्टर एवं मोटर साईकिल सहित जप्त कर वन क्षेत्र कार्यालय, सरिया लाने के कम में उपद्रवियों द्वारा ट्रेक्टर को रोक कर टायर का हवा निकाल दिया गया। इससे ट्रेक्टर लाने में असमर्थ होने पर स्थानीय मुखिया को ट्रक्टर एवं लकड़ी का जिम्मानामा रसीद प्राप्त कर जिम्मे में दिया गया एवं सभी अभ्युिक्तों एवं मोटर साईकिल को प्रक्षेत्र कार्यालय, बगोदर (सरिया) लाया गया। विभिन्न साईज का युक्लिप्टस लकड़ी 15 पीस , बिना नम्बर के ट्रेक्टर, जिसका चेचिस सं0–MBNABAEXPHRF02908 ईंजन सं0–RHF2EAN5892 एवं होण्डा साईन मोटर साईकिल, जिसका निबंधन से0–JH-11Y-2526 की जप्ती सूची बनाकर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन प्रमंडल द्वारा अधिहरण वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा अपीलीय आवेदन दायर की गई है अपने अपीलय आवेदन में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने निम्न तर्क दिया है:– 1. For that the Order and Judgement of the Divisional Forest Officer dated 10-01-2022 is against the law as the Motor cycle of the appellant is not involved in the case as hold by the court below and therefore, the order of the court below is fit to be set-aside. 2. For that appellant was not carrying any wood of the forest department on	

(initials)

the Motor cycle and hence the confiscation of Motor cycle is illegal and unjustified and therefore, the confiscation Order is fit to be set aside

3. For that the appellant have not removed any Eucalyptus tree out of the demarcation area of the forest department which was seized by the Forest Guard on 16.03.2019 at village and handed over the tractor and wood to the mukhiya of Kailatand actually the forest guard has not seen in Koniya forest area to remove the alleged tree hence the allegation of the forest guard is totally false and concocted and therefore, the order of the court below is bad in law.

4. For that the appellant has planted trees of Eucalyptus in the raiyati land at village koniya out of the forest area under the khata no- 4 and 5 and plot no- 139 and the same was removed for the personal use and the same was seized by the forest guard hence the allegation of removed out of the forest area is totally baseless and on the same ground the learned District & Session Judge IIIrd. Giridih was pleased to release the appellant and other accused on bail in case No.- 540/19 under section 33(i) a, 41,42 of the Indian Forest Act vide B.P.No 0380/19 but this fact was not consider by the court below. Hence, the order of the court below is fit to be set-aside

विचारण एवं निर्णय

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य विचारणीय हैः—

1. होण्डा साईन मोटर साईकिल, जिसका निबंधन सं0—JH-11Y-2526 है, जो घटना के समय विभिन्न साईज का युक्लिप्टस लकड़ी का 15 पीस, बिना नम्बर के ट्रेक्टर, जिसका चेचिस सं0—MBNABAEXPHRF02908 ईंजन सं0—RHF2EAN5892 के पीछे—पीछे चल रहा था एवं जिपर वन अपराध मे संलिप्त अभियुक्त सवार थे, के वन अपराध में शामिल नहीं होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही अपीलार्थी का दावा कि यूक्लिप्टस का पेड़ को रैयती भूमि पर लाया गया था जिसे काट कर टैक्टर में परिवहन किया जा रहा था। इस कथन को झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2004 के नियम—8, जिसके अनुसार "रैयती भूमि पर उगे वृक्षों से प्राप्त काष्ठ हटाने की प्रकिया—अपनी रैयती भूमि पर उगे वृक्षों के काष्ठ परिवहन के लिए किसी रैयत को नियम—5 के अधीन परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नवत् प्रक्रिया होगी। इस गजट की अधिसूचना की तिथि के पश्चात रैयती भूमि पर उगे वृक्ष के पातन के पूर्व काष्ठ के परिवहन के लिए रैयत द्वारा इस प्रकिया के उल्लंधन में ऐसे काष्ठ का परिवहन विधि मान्य नहीं होगा", के आलोक में विधिसम्मत नहीं माना जा सकता हैं। अपीलार्थी द्वारा लकड़ी को निजी भूमि से काटने के पूर्व राजस्व विभाग के संबंधित अंचल अधिकारी एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के अनुशंसाओं के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना चाहिए था। परन्तु अपीलार्थी द्वारा नियमावली में निहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है। इस परिपेक्ष्य में विभिन्न साईज का युक्लिप्टस लकड़ी 15 पीस, बिना

नम्बर के ट्रेक्टर, जिसका चेचिस सं0–MBNABAEXPHRF02908 ईंजन सं0–RHF2EAN5892 एवं होण्डा साईन मोटर साईकिल, निबंधन सं0–JH-11Y-2526 को वन अपराध में शामिल होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतएव युक्लिप्टस लकड़ी का 15 पीस एवं बिना नम्बर के ट्रेक्टर, जिसका चेचिस सं0–MBNABAEXPHRF02908 ईंजन सं0–RHF2EAN5892 एवं होण्डा साईन मोटर साईकिल निबंधन सं0–JH-11Y-2526 को राजसात करने का निर्णय लिया जाना नियमसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं सम्पूर्ण अभिलेख के परिशीलन के उपरांत प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग के अधिहरण वाद सं0–10 / 2019 रितलाल सिंह बनाम झारखण्ड सरकार (DFO, Hazaribagh, East Division) में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया जाता है। युक्लिप्टस लकड़ी का 15 पीस एवं बिना नम्बर के ट्रेक्टर, चेचिस सं0–MBNABAEXPHRF02908 ईंजन सं0–RHF2EAN5892 एवं होण्डा साईन मोटर साईकिल निबंधन सं0–JH-11Y-2526 को राजसात किया जाता है। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश दिया जाता है कि युक्लिप्टस लकड़ी का 15 पीस एवं बिना नम्बर के ट्रेक्टर, जिसका चेचिस सं0–MBNABAEXPHRF02908 ईंजन सं0–RHF2EAN5892 एवं होण्डा साईन मोटर साईकिल निबंधन सं0–JH-11Y-2526 को निलामी की प्रकिया अपनाते हुए निलामी के उपरांत प्राप्त राशि को सरकारी कोषागार में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

17/02/23 | 17/02/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह | उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी गिरिडीह

Digitally signed by NAMAN PRIYESH LAKRA
Date: 2023.03.16 14:50:49 +05:30
Location: fd01::24fd:d93e:2d44:97dd